



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53776

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8956 वर्ष 2026

विनय

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: राकेश कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इमरान खान को सुना गया।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को थाना दनकौर, जिला गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 168 वर्ष 2025, धारा 85, 80(2) बी.एन.एस. और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, लेकिन उसे झूठे आरोपों के आधार पर इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
- उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में शादी के बाद मृतका अक्सर अपने मायके जाया करती थी और इस कारण पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और इसलिए उनके वैवाहिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे तथा कथित घटना से ठीक पहले, मृतका यद्यपि अपने मायके से लौटी थी, लेकिन वह फिर से वहां जाने के लिए तैयार थी, परन्तु इस बार आवेदक ने कड़ा विरोध

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया और इस कारण दोनों के बीच गंभीर झगड़ा हुआ और आवेश में आकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने आगे बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संकेत देती है कि मृतका की मृत्यु फांसी के कारण हुई है।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि शादी के बाद मृतका बार-बार अपने मायके जाती थी और पति-पत्नी के बीच वैवाहिक कलह थी, यह तथ्य जांच के दौरान दर्ज किए गए स्वतंत्र गवाहों के बयानों से भी स्पष्ट है, जिन्हें पेपर-बुक के पृष्ठ-137 के बाद संलग्न किया गया है।

6. उन्होंने आगे बताया कि आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 10.07.2025 से अर्थात् पिछले 8 महीनों से अधिक समय से जेल में है।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

9. यद्यपि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु शादी के पांच साल के भीतर उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है और फॉर्च्यूनर चार पहिया वाहन की मांग के संबंध में प्रताड़ना का भी आरोप है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मृतका की मृत्यु फांसी के कारण हुई है, इसलिए इस चरण में मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और विवेचना के दौरान दर्ज स्वतंत्र गवाहों के बयानों को देखते हुए, बहस के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए आत्महत्या के कारण को भी इस स्तर पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।

10. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 10.07.2025 से अर्थात् पिछले 8 महीनों से अधिक समय से जेल में है।

11. इसके अलावा, कानून स्थापित है कि जब तक दोषी साबित न हो जाए, एक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक उद्देश्य के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. आवेदक- **विनय** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न मिल जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

15. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)

17 मार्च, 2026

शाहरोज़

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।